

वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। इस परिस्थिति में बाजार की स्थिति को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों उपाय किए गए। साथ ही, लागत को कम करने, जोखिम के न्यूनीकरण और बाजार के विकास से संबंधित प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाना भी सुनिश्चित किया गया। केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियों में 141.2 प्रतिशत की उछाल के बावजूद, इन उपायों के सहयोग से वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों के जरिये सरकार की उधारियों की भारत औसत लागत 5.79 प्रतिशत रही, जो 17 वर्ष की अवधि में सबसे कम है।

VII.1 रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू कर्ज का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 इस अध्याय के शेष भाग को तीन खंडों में बांटा गया है। इसके खंड 2 में वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बताया गया है। वर्ष 2021-22 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को खंड 3 में शामिल किया गया है। अध्याय के अंत में सार प्रस्तुत किया गया है।

2. 2020-21 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VII.3 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कैलेण्डर चालित, नीलामी आधारित स्विचेज तथा वापसी-खरीद परिचालनों के साथ-साथ प्रतिभूतियों के पुनः निर्गमन के जरिए ऋण का समेकन, ताकि

भारत सरकार (जीओआई) के प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में चलनिधि बढ़ाई जा सके और नए निर्गम किए जा सकें (पैरा VII.5 - VII.7);

- सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबारी सुगमता-राज्य के कोषागारों को भौतिक रूप में जारी किए गए मुआवजा बॉण्ड की सर्विसिंग को अलग करना (उत्कर्ष) [पैरा VII.8];
- ई-कुबेर में गिल्ट खाते के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को पूरा करना, रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल में सरकारी प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा ऋण हेतु धारणाधिकार चिह्नंकित करने की व्यवहार्यता की जांच; और सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) / ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा [पैरा VII.9];
- राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) की शुरुआत (उत्कर्ष) [पैरा VII.10];
- बाजार उधारियों को इष्टतम अनुकूल विधि में प्रयोग किए जाने की संभावनाओं का पता लगाना; बेहतर नकदी प्रबंधन हेतु चलनिधि बफर निर्मित करने के तरीके का विकास; और रिज़र्व बैंक के डाटा वेयरहाउस में लोक ऋण डाटा (बाजार उधारियों, मूल्यांकनों तथा विशेष प्रतिभूतियों से संबंधित डाटा सहित) का समेकन (पैरा VII.11);

- डाटा की गुणवत्ता तथा सटीकता में सुधार लाने के लिए डाटा रिपोर्टिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना (पैरा VII.12); और
- राज्य सरकारों को नकदी तथा ऋण प्रबंधन के विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन (पैरा VII.13)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VII.4 वर्ष 2020-21 के दौरान, लागत न्यूनीकरण, जोखिम कम करने और बाजार विकास की ऋण प्रबंधन रणनीति का अनुसरण करते हुए बाजार उधार कार्यक्रम संपन्न किए गए। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न भारी अनिश्चितता तथा घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभावों के बीच, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त सकल बाजार उधारियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जो वर्ष के दौरान 61.3 प्रतिशत बढ़कर ₹ 21,69,140 करोड़ हो गई।

VII.5 रिजर्व बैंक ने पुनःनिर्गमनों के जरिए अपनी निष्क्रिय समेकन नीति तथा वापसी-खरीद/स्विचेज के जरिए सक्रिय समेकन नीति को जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों के 178 निर्गमों में से 162 पुनः निर्गमन (91.0 प्रतिशत) थे, जबकि पिछले वर्ष 194 निर्गमों (95.4 प्रतिशत) में से 185 पुनः निर्गमन थे।

VII.6 अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों को दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों के साथ स्विच करके राजकोषीय समेकन के सक्रिय रूप को सामान्यतः प्रत्येक महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट-निर्धारित स्वीचिंग में से ₹1,53,418 करोड़ की राशि वाले 95.9 प्रतिशत स्वीचिंग का कार्य वर्ष 2020-21 के दौरान पूरा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹1,64,804 करोड़ थी।

VII.7 वर्ष 2020-21 के दौरान, निवेशकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 2 से 40 वर्ष की परिपक्वता काल वाली नई प्रतिभूतियां निर्गमित की गईं। निवेशक आधार को बढ़ाने के प्रयोजन से वर्ष के दौरान अस्थायी दर बॉण्ड (एफआरबी) भी जारी किए गए। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल निर्गमों में एफआरबी का हिस्सा पिछले वर्ष के 8.5 प्रतिशत की तुलना में 6.5¹ प्रतिशत रहा।

VII.8 राज्य के कोषागारों को मुआवजा बॉण्ड (सीबी) की सर्विसिंग को अलग करने के लिए समीक्षा की गई है।

VII.9 सरकारी प्रतिभूतियों के निक्षेपागारों में अंतरपरिचालनीयता की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों के क्रम में, रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया था कि ग्राहकों की सहायक खाता बही (सीएसजीएस) में ग्राहकों के ब्योरे शामिल करने के लिए रिजर्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूति रजिस्ट्री (पीडीओ-एनडीएस प्रणाली) को संशोधित करेगा। तदनुसार, घटकों (सीएसजीएस धारकों के साथ प्रतिभूति खाते बनाए रखने वाली संस्थाएं) की सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता से संबंधित विवरण को दर्ज करने, घटकों के खातों में सीधे सरकारी प्रतिभूतियों की लेनदेन के निपटान और ई-कुबेर में घटकों के खातों के लिए लियन-चिह्नित करने की भी सुविधा देने के लिए ई-कुबेर प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है।

VII.10 एसडीएल में स्ट्रिप्स/पुनर्गठन सुविधा प्रदान करने के लिए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 7 अगस्त 2019 के रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) को एसडीएल में स्ट्रिप्स के कार्यान्वयन हेतु एसडीएल के लिए शून्य कूपन प्रतिफल कर्व के निर्माण हेतु पद्धति तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है।

VII.11 बाजार उधारियों के अनुकूलन और बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए चलनिधि बफर निर्मित करने के तरीके के विकास का अध्ययन पूरा हो चुका है। रिजर्व बैंक की पुनर्निर्मित डाटा

¹ स्विच नीलामियों के माध्यम से किए गए ₹19,953.68 करोड़ के एफआरबी निर्गमन शामिल नहीं हैं।

वेयरहाउस परियोजना के अंतर्गत लोक ऋण डाटा के समेकन का कार्य अभी चल रहा है।

VII.12 सार्वजनिक डाटा से संबंधित रिपोर्टों को स्रोत डाटा से जोड़ा जा रहा है, और विभिन्न रिपोर्टों में डाटा असंगतता, यदि कोई हो, को ठीक किया जा रहा है।

VII.13 राज्य सरकारों को नकदी और ऋण प्रबंधन के विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए पांच राज्यों, अर्थात् छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अन्य पहल

VII.14 सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 फरवरी 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के संबंध में रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, खुदरा निवेशकों को अपने गिल्ट प्रतिभूति खाते सीधे रिजर्व बैंक ('रिटेल डायरेक्ट') में खोलने की सुविधा तथा अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने की योजना है। प्रयोक्ता-अनुकूल ऑनलाइन 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल में गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के साथ-साथ एनडीएस-ओएम से संबंधित द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक नीलामी में भागीदारी की सुविधाएं होगी। आशा है कि इस पहल से बाजार तक आसान पहुंच में सुधार के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में अधिक से अधिक खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.15 वर्ष 2020-21 के दौरान, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिये सकल बाजार उधार² पिछले वर्ष की तुलना में 93.0 प्रतिशत अधिक हुई। प्रारंभ में, भारत सरकार की सुनियोजित बाजार उधार में ₹4.20 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे आगे वर्ष में दो बार बढ़ाया गया, अर्थात्, पहला, माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर में आई कमी के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गए विशेष विंडो के अंतर्गत ₹1.10 लाख

करोड़ और दूसरा, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट की घोषणा के दौरान ₹80,000 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधारियों में 141.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधारियों ने पिछले वर्ष के 50.8 प्रतिशत के मुकाबले केंद्र सरकार के बजट-निर्धारित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के 61.8 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। वर्ष 2020-21 में दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों(टी-बिल), दोनों को मिलाकर, के जरिए निवल बाजार उधारियों में भी वृद्धि हुई (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.16 बॉण्ड बाजार में अस्थिरता के बावजूद, वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों का भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में पिछले वर्ष के भारित औसत प्रतिफल की तुलना में 106 आधार अंक (बीपीएस) की गिरावट आई। संपूर्ण बकाया कर्ज स्टॉक पर भारित औसत कूपन भी 44 बीपीएस कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यह वर्ष 2004-05 से अभी तक के निम्नतम स्तर पर चला गया। पिछले वर्ष में 16.15 वर्षों की तुलना में प्राथमिक निर्गमों (स्विच नीलामी के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) 14.49 वर्ष थी। वर्ष 2020-21 में स्विच नीलामियों में लंबी अवधि की

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
निवल उधारियां (i से iv)	4,98,891	4,58,337	5,11,500	13,75,654
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां@	4,48,410	4,22,737	4,73,972	11,43,114
(ii) 91-दिवसीय-खजाना बिल	31,886	-46,542	-9,600	10,713
(iii) 182-दिवसीय-खजाना बिल	1,436	32,931	38,354	-18,743
(iv) 364-दिवसीय-खजाना बिल	17,159	49,211	8,774	2,40,570

@: वापसी-खरीद एवं स्विचेज समायोजित किए बगैर। वापसी-खरीद एवं स्विचेज को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19 और 2017-18 में निवल उधारियां क्रमशः ₹11,46,739 करोड़, ₹4,73,990 करोड़, ₹4,23,269 करोड़ और ₹4,10,260 करोड़ थीं।

स्रोत: भारिबैं।

² जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया ₹1.1 लाख करोड़ शामिल है।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक प्रोफाइल*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्ष में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में अधिकतम प्रतिफल का दायरा^			वर्ष के दौरान निर्गत^			बकाया स्टॉक#	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की दायरा @	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.50	6-30	14.66	10.23	8.08
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.88	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.15	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27

-: लागू नहीं।

@: निर्गमों की अवशिष्ट परिपक्वता तथा आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर।

^: स्विच नीलामी को छोड़कर।

#: स्विच नीलामी सहित।


स्रोत: भारिबैं।

प्रतिभूति के निर्गमों के कारण प्राथमिक रूप से बकाया कर्ज की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएम) 10.72 वर्ष से बढ़कर 11.31 वर्ष हो गई (सारणी VII.2)।

VII.17 प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के संदर्भ में वर्ष 2019-20 की ₹3,606 करोड़ के दो आंशिक न्यागमन के मामलों की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹1,30,562 करोड़ के 15 मामले दर्ज हुए। बाजार की तत्कालीन प्रबल स्थितियों के कारण ₹39,000 करोड़ की कुल अधिसूचित राशि वाले चार मामलों में कोई बोली स्वीकार नहीं की गई।

VII.18 कोविड-19 महामारी से प्रेरित दबाव से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक और चलनिधि उपायों के कारण 10 वर्षीय प्रतिफल में 37 बीपीएस की नरमी के साथ वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में गिरावट आई। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में की गई 40 बीपीएस की कटौती और महामारी को ध्यान में रखते हुए किए गए विभिन्न चलनिधि संवर्धन उपायों के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में प्रतिफलों में तेजी से गिरावट आई। यूएस के राजकोषीय प्रतिफलों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी प्रतिफल की सहजता को सहारा प्रदान दिया। पहली तिमाही में 10 वर्षीय प्रतिफल 81 बीपीएस नरम हुए। वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में, मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और जून एवं जुलाई के

लिए उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़ों के कारण सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफलों में सख्ती आई। अगस्त के अंत में रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कुछ नीतिगत उपायों, अर्थात् बैंकों के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा में वृद्धि, मीयादी रिपो परिचालन और विशेष ओएमओ, ने प्रतिफलों के सहज होने में सहायता प्रदान की। दूसरी तिमाही में 10 वर्षीय प्रतिफल 14 बीपीएस बढ़े। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 10 वर्षीय प्रतिफल नरम हुए और ये कुछ नीतिगत उपायों, जैसे ऑन-टैप टीएलटीआरओ की शुरुआत, बैंकों के लिए बढ़ाई हुई एचटीएम सीमा में विस्तारित छूट, ओएमओ और निभावकारी मौद्रिक नीति वाले रुख को जारी रखने संबंधी एमपीसी के भावी मार्गदर्शन, के कारण 15 बीपीएस तक सहज हुए। वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान, केंद्रीय बजट में अपेक्षा से अधिक सरकारी उधारियों की घोषणा और यूएस राजकोषीय प्रतिफलों में तेज वृद्धि का अनुसरण करने और कच्चे तेल की उच्चतर कीमतों, के बाद प्रतिफलों में उछाल आई। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों की अंतिम नीलामी को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2021 के अंत में प्रतिफलों में कुछ सहजता आई। चौथी तिमाही में, 10 वर्षीय प्रतिफल 45 बीपीएस बढ़े और वर्ष की समाप्ति 6.34 प्रतिशत पर हुई (चार्ट VII.1)।



VII.19 वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष के 54.2 प्रतिशत की तुलना में बाजार उधारियों का लगभग 49.0 प्रतिशत 10 वर्षीय और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिये जुटाई गई थी। इसके अलावा, 30-वर्ष और 40-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों को बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों (सारणी VII.3) जैसी दीर्घावधि निवेशकों की मांग की पूर्ति के उद्देश्य से निर्गमित/पुनर्निर्गमित किया गया था।

खजाना बिल

VII.20 केंद्र सरकार की अल्पावधि नकदी अपेक्षाओं को खजाना बिलों के निर्गमन के जरिये पूरा किया जाता है। खजाना बिलों (91, 182 और 364 दिन) के जरिये सरकार की निवल अल्पावधि बाजार उधारियां पिछले वर्ष के ₹37,528 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2,32,540 करोड़ हो गईं।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.21 वाणिज्यिक बैंक वर्ष 2021 के मार्च-अंत में 37.3 प्रतिशत हिस्से के साथ सरकारी प्रतिभूतियों (खजाना बिलों और एसडीएल सहित) के सबसे बड़े धारक बने रहे। इनके बाद बीमा कंपनियों (25.7 प्रतिशत), रिज़र्व बैंक (10.4 प्रतिशत) और भविष्य निधि (9.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत थी। सरकारी प्रतिभूतियों के अन्य धारकों (टी-बिल और एसडीएल सहित) में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान (एफआई) और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक व्यापारी

VII.22 मार्च 2021 के अंत में [14 बैंक-पीडी और 7 एकल पीडी (एसपीडी)] प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की संख्या 21 रही। प्राथमिक व्यापारियों के मामले में अधिदेश है कि वे खजाना बिलों (टी-बिल)/नकद प्रबंधन बिलों (सीबीएम) की प्राथमिक नीलामियों

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन – परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2018-19		2019-20		2020-21	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	1,08,899	19.1	1,46,000	20.6	3,91,990	28.6
5 -9.99 वर्ष	1,57,000	27.5	1,79,000	25.2	3,07,405	22.4
10-14.99 वर्ष	98,000	17.2	1,37,000	19.3	3,76,766	27.5
15 -19.99 वर्ष	71,101	12.5	15,000	2.1	-	-
20 वर्ष और अधिक	1,36,000	23.8	2,33,000	32.8	2,94,162	21.5
कुल	5,71,000	100.0	7,10,000	100.0	13,70,324	100.0

---: शून्य।

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकित किए जाने के कारण कॉलमों में दी गई संख्याओं के योग कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत: भारिबैं।


के संबंध में बोली प्रतिबद्धता/सफलता अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करें। प्राथमिक व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से खजाना बिलों की प्राथमिक नीलामियों में निर्धारित 40 प्रतिशत के न्यूनतम औसत सफलता अनुपात को हासिल किया। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2020) और वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2020-मार्च 2021) में इनका औसत सफलता अनुपात क्रमशः 57.10 प्रतिशत और 60.13 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान खजाना बिलों/सीएमबी की नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा 68.89 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 71.67 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी के लिए ₹ 454.64 करोड़ का कमीशन, जीएसटी को छोड़कर, अदा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 41.04 करोड़ था।

सरकारी स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना

VII.23 रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2020-21 के दौरान सरकारी स्वर्ण बॉण्ड के 12 ट्रेंच जारी किए, जो कुल ₹ 16,049 करोड़ (32.35 टन) राशि के हैं। नवंबर 2015 में इस योजना की शुरुआत से लेकर अभी तक कुल ₹ 25,702 करोड़ (63.32 टन) राशि जुटाई गई है।

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

VII.24 केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 की शुरुआत ₹55,573 करोड़ की नकदी शेष के साथ की। वित्त वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा ₹1,25,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। समष्टि-आर्थिक स्थितियों के उभरने की स्थिति में और कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण पैदा हुई दबावग्रस्त परिस्थिति पर काबू पाने के लिए, भारत सरकार से परामर्श करके रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष की पहली छमाही के शेष भाग के लिए डब्ल्यूएमए सीमा बढ़ाकर ₹2,00,000 करोड़ कर दिया। इसके अलावा, दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹1,25,000 निर्धारित की गई। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के 189 दिनों की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 63 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा का सहारा लिया



और इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष के 52 दिनों की तुलना में 9 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) की स्थिति में चला गया। केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी से ली गई सहायता की अधिकतम राशि 3 मई 2020 को ₹2,24,078 करोड़ थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान नकदी प्रवाहों में अल्पावधि असंतुलों को दूर करने के लिए 84 दिन की परिपक्वता काल वाले ₹80,000 करोड़ के सीएमबी जारी किए। कोविड-19 महामारी वाली स्थिति के बावजूद, केंद्र सरकार का नकदी शेष पूरे वर्ष में सुविधाजनक रहा (चार्ट VII.2)।

विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के अंतर्गत निवेश

VII.25 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के अंतर्गत, विभाग द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थाओं की तरफ से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इन संस्थाओं की तरफ से वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुल लेनदेनों की मात्रा पिछले वर्ष के ₹4,500 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹3,120 करोड़ (अंकित मूल्य) रही।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.26 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को

छोड़कर) से राज्यों को अलग रखने संबंधी 14वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिश के बाद, राज्यों की बाजार उधारियों में विगत कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। परिणामस्वरूप, राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के वित्तपोषण में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 (आरई) के 74.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 (बीई) में 89.5 प्रतिशत हो गई।

VII.27 कोविड-19 प्रेरित समष्टि-आर्थिक स्थितियों के कारण राज्यों की सकल तथा निवल बाजार उधारियां पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहीं। राज्यों की सकल बाजार उधारियां, राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारियों के लिए सांकेतिक तिमाही कैलेंडर में इंगित की गई राशि का 97.5 प्रतिशत रहीं। वर्ष 2020-21 में 742 निर्गम थे, जिनमें से 56 पुनर्निर्गमित (वर्ष 2019-20 में 636 निर्गम, जिनमें से 114 पुनर्निर्गमित किए गए थे) किए गए थे [सारणी VII.4]

VII.28 वर्ष 2020-21 के दौरान एसडीएल निर्गमों का भारित औसत कट-ऑफ प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 7.24 प्रतिशत की तुलना में 6.55 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर रहा। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में एसडीएल निर्गमों का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएएस) पिछले वर्ष के 55.02 आधार अंकों के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 52.72 आधार अंक रहा। वर्ष 2020-21 में, इक्कीस राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1.5 से 35 वर्ष तक के दायरे वाली परिपक्वता काल की दिनांकित प्रतिभूतियां निर्गत की गईं। आठ राज्यों ने नीलामियों में से, 10 वर्षीय को छोड़कर, एक अथवा अधिक में सभी बोलियों को

अस्वीकृत कर दिया। निष्क्रिय समेकन की नीति को अपनाते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान चार राज्यों (नामत: महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पंजाब और मध्य प्रदेश) द्वारा पुनर्निर्गमन किए गए। 10 वर्षीय नए निर्गमों पर औसत अंतर-राज्य प्रतिफल स्प्रेड पिछले वर्ष के 6 बीपीएस की तुलना में वर्ष 2020-21 में 10 बीपीएस रहा।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.29 राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए योजना पर गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) की अनुशंसाओं के अनुसरण में वर्ष 2020-21 में होनेवाली अगली समीक्षा तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹ 32,225 करोड़ निर्धारित की गई। कोविड-19 पर काबू पाने और इसे कम करने के प्रयास में राज्य सरकारों को अधिक सहूलियत प्रदान करने के लिए, तथा राज्यों को अपनी बाजार उधारियों से संबंधित योजना बनाने में सक्षम, अंतरिम उपाय के रूप में, बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से आगे और 60 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी। यह अंतरिम उपाय 31 मार्च 2021 तक वैध रहा। राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2021 में प्रस्तुत कर दी है। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर रिज़र्व बैंक 30 सितंबर 2021 तक डब्ल्यूएमए की अंतरिम सीमा (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹ 51,560 करोड़) को बनाए रखने का निर्णय लिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लगातार ओडी में रह सकने वाले दिनों की अनुमत संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य

सारणी VII.4: एसडीएल के जरिए राज्यों की बाजार उधारियां

(राशि ₹ करोड़ में)				
मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	78,819	1,29,680	1,47,067	1,47,039
अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत सकल स्वीकृति	4,82,475	5,50,071	7,12,744	9,69,525
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	4,19,100	4,78,323	6,34,521	7,98,816
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	3,40,281	3,48,643	4,87,454	6,51,777
कुल स्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	86.9	87.0	89.0	82.4
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में)#	24,29,892	27,78,536	32,65,989	39,25,555

#: उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) एवं अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।
स्रोत: भारिबैं।

दिवस करके, और एक तिमाही में इसे 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस करके, नकदी प्रवाह असंतुलनों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना में रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की गई। यह 07 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहा। अठारह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया, जबकि पंद्रह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2020-21 में ओडी का लाभ उठाया।

VII.30 हाल के वर्षों में, राज्य मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) के रूप में काफी अधिक नकदी अधिशेष जमा करते रहे हैं। तथापि, ये 520 बीपीएस का ऋणात्मक रखाव लागत भारित करते हैं, जो 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों की औसत उधार लागत (6.55 प्रतिशत) और आईटीबी पर औसत प्रतिलाभ दर (1.35 प्रतिशत) के बीच का अंतर है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आईटीबी और नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्यों के बकाया निवेशों में वृद्धि हुई (सारणी VII.5)।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.31 रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)। अभी तक, चौबीस राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र, यथा पुद्दुचेरी ने सीएसएफ की स्थापना की है। वर्तमान में, अठारह राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। राज्यों को सीएसएफ और जीआरएफ में उनके वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले रिज़र्व बैंक से रियायती

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आईटीबी तथा एटीबी में निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,56,050	1,50,871	1,22,084	1,54,757	2,05,230
एटीबी	36,603	62,108	73,927	33,504	41,293
कुल	1,92,653	2,12,979	1,96,011	1,88,261	2,46,523

स्रोत: भारिबें।

दर पर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाने की अनुमति है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹1,27,208 करोड़ और ₹8,405 करोड़ था, जबकि मार्च 2020 के अंत में यह क्रमशः ₹1,30,431 करोड़ और ₹7,486 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसएफ/जीआरएफ में कुल निवेश और विनिवेश क्रमशः ₹17,900 करोड़ और ₹18,264 करोड़ थे। राज्यों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं की समीक्षा चल रही है।

3. वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

VII.32 वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में, वर्ष 2020-21 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधारियों को संशोधित करते हुए ₹7,80,000 करोड़ (बीई) से बढ़ाकर ₹12,80,000 करोड़ (आरई) किया गया। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक सकल उधारियां ₹12,60,324 करोड़ रहीं। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जीएसटी मुआवजा सेस में आई कमी के लिए विशेष विंडो के अंतर्गत लिए गए ₹1.10 लाख करोड़ के उधार के अतिरिक्त है। वर्ष 2021-22 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधारियों का ₹12,05,500 करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 के ₹13,70,324 से लगभग 12.0 प्रतिशत कम है। निवल बाजार उधारियां (अल्पावधि कर्ज और डाक घर जीवन बीमा फंड की चुकौती सहित) के लिए ₹9,67,708 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2021-22 में जीएफडी के 64.2 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण करेगा।

VII.33 वर्ष 2021-22 के दौरान, ऋण प्रबंधन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मील के पत्थर वाली रणनीति के साथ बाजार उधार कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रस्ताव है:

- सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि को बढ़ाने और नए निर्गमों की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम सहित कैलेण्डर चालित, नीलामी आधारित स्विच परिचालनों के जरिये कर्ज का समेकन;

- बाजार निर्मित करने में पीडी की भूमिका को बढ़ाकर सरकारी प्रतिभूति बाजार में समग्र रूप से चलनिधि में सुधार (उत्कर्ष);
- सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच की सुलभता में सुधार द्वारा बड़े स्तर पर खुदरा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खुदरा निवेशकों को 'रिटेल डायरेक्ट' योजना के अंतर्गत सीधे रिजर्व बैंक में गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की अनुमति;
- सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए मौजूदा बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए गिल्ट स्तर के डाटा को दर्ज करने के लिए ई-कुबेर में एक मॉड्यूल का विकास करना और इसके अलावा बाजार की प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करने के लिए सीधे गिल्ट खाते के स्तर पर प्राथमिक और द्वितीयक बाजार निपटान को सक्षम बनाना;
- गिल्ट मॉड्यूल विकास और गिल्ट लेखा निपटान के लिए एसजीएल / सीजीएसएल दिशानिर्देशों की समीक्षा।
- मूल्य रहित अंतरण दिशानिर्देशों की समीक्षा;
- ऑनलाइन अभिदान का लेखा रखने के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को शामिल करने के लिए भारत सरकार के बचत बॉण्ड पर परिचालनगत दिशानिर्देशों की समीक्षा;
- लोक ऋण से संबंधित डाटा और समेकन डाटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखना;
- खुली बाजार उधारियों (ओएमबी) के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहमति की

स्वचालित निगरानी – बेहतर नियंत्रण, निगरानी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन सहमतियों को दर्ज करने के लिए ई-कुबेर में केंद्रीकृत प्रणाली का विकास;

- स्ट्रिप्स का कार्यान्वयन / एसडीएल में पुनर्निर्माण सुविधा (उत्कर्ष);
- राज्यों के कोषागारों को भौतिक रूप में जारी मुआवजा बॉण्ड की सर्विसिंग को अलग करना (उत्कर्ष) ;
- एफसीबी से सुरक्षित निवेश और विनिवेश संबंधी अनुदेशों को सुचारु बनाने के उद्देश्य से एफसीबी के साथ लेनदेनों के लिए विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का परिचालन करना (उत्कर्ष) ; और
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेक-सम्मत प्रथाओं के विषय में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन।

4. निष्कर्ष

VII.34 समग्र रूप से वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्र और राज्यों की संयुक्त सकल बाजार उधारियां ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न की गईं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र और राज्यों दोनों के वित्त पर पड़े दबाव के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपायों की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के लिए, रिजर्व बैंक सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने और सरकारी कर्ज के समेकन के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा।